इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019—भाद्र 29, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्र. एफ-ए-3-58-2015-1-पांच (63).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सूचना दिनांक 19 सितम्बर 2019 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में,—

(एक) भाग 3-क में, अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "18" के स्थान पर अंक "23" स्थापित किया जाए.

(दो) भाग 3-क में, अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "28" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.

(तीन) भाग 3-क में, अनुक्रमांक 6 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "5" के स्थान पर अंक "10" स्थापित किया जाए.

यह संशोधन दिनांक 21 सितम्बर 2019 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्र एफ-ए-3-58-2015-1-पांच (63).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-58-2015-1-पांच (63), दिनांक 20 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2019

S. No. F-A-3-58-2015-1-V (63).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby makes the following amendments in Schedule II of the said Act, notice of which having been previously published in Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 19th September 2019 as required by the proviso to sub-section (1) of Section 70-A of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In Schedule-II to the said Act,—

I. In Part III-A, against serial number 1, in column (3), for the figure "18" the figure "23" shall be substituted;

II. In Part III-A, against serial number 2, in column (3), for the figure "28" the figure "33" shall be substituted;

III. In Part III-A, against serial number 6, in column (3), for the figure "5" the figure "10" shall be substituted;

This amendments shall come into force from 21st September 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.